ग्राम पंचायत टक्का, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टक्का, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत टक्का में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री स्वर्ण दास	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मनोज कुमार	01.04.2021 से 10.05.2021
2.	श्री नरेश कुमार	11.05.2021 से 18.02.2022
3.	श्री रवि सैनी	19.02.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत टक्का, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4 (घ)	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर	0.02
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	54.08
3)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.63
4)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.11
5)	8.1	मनरेगा शीर्ष से मजदूरी के रूप में किए गये अधिक भुगतान की मौके पर वसूली	0.04

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत टक्का, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री देव राज व अश्वनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 08.12.2023 से 13.12.2023 तक ग्राम पंचायत टक्का के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	06/2021	08/2021
2022-23	08/2022	05/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत टक्का, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 337/2023 दिनांक 13/12/2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत टक्का द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 440542 दिनांक 18/12/2023 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत टक्का द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325/2023 दिनांक 08.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के वित्तीय वर्ष 2021-22 दौरान कुल आठ रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी (BMC), 14वां वित्तायोग (Online), 15वां वित्तायोग (Online), 4th वित्तायोग, इन्दिरा आवास योजना (IAY), वाटर शेड व मनरेगा (Online) तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत व अनुदान (चौथा, 14वां, 15वां वित्तायोग, IAY, BMC, वाटर शेड सहित समेकित रोकड़ बही) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2021-22	4496740.63	3885282	8382022.63	1487555	6894467.63
2	2022-23	6894467.63	5031838.225	11926305.86	6518756.225	5407549.63

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत टक्का के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹2195/-** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	5407549.63
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**5403143.75**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	6600.88
4)	**योग (2+3)**	**5409744.63**
5)	**अन्तर (1-4)**	**2195.00**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Una (Own & GIA)	50051721135	394321.35
	KCCB Una	50065879312	914.00
	KCCB Una	20013012683	1743471.50
	KCCB Una (Water Shed Dev. Fund)	20013064427	192287.00
	KCCB Una	50055232991	9946.00
	Bank of Baroda Una (14th FC)	31270100005146	0.90
	Bank of Baroda Una (BMC)	31270100004810	62110.00
	Bank of Baroda Una (15th FC)	31270100004676	3000093.00
		योग	**5403143.75**
		हस्तगत राशि	6600.88
		योग (1+2)	**5409744.63**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.02 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹2195/-** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 326/2023 दिनांक 08/12/2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 211 दिनांक 13/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325/2023 दिनांक 08.12.2023 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 210 दिनांक 13/12/2023 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार

सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹54.08 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325/2023 दिनांक 08.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹5407549.63/- की राशि उपयोग हेतू शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325/2023 दिनांक 08.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 210 दिनांक 13/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325/2023 दिनांक 08.12.2023 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 210 दिनांक 13/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में

प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व गृहकर ₹1.63 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 325/2023 दिनांक 08.12.2023 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 210 दिनांक 13/12/2023 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि ₹162808/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	161918	82500	244418	0	244418
2022-23	244418	88100	332518	169710	162808

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का

मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.11 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹11350/-** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	नाम	रसीद संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1	Satdev	63420	04-05-2021	200
2	Rajeev Kumar	63422	09-06-2021	200
3	Prince Kumar	63423	14-06-2021	200
4	Ankush Sharma	63424	15-06-2021	200
5	Sahil Sharma	63425	15-06-2021	50
6	Naveen Kumar	63426	15-06-2021	400
7	Davinder Kumar	63427	19-06-2021	400
8	Ashwani Kumar	63428	22-06-2021	400
9	Ankush Modgil	63429	22-06-2021	400
10	Sandeep Kumar	63433	23-07-2021	200
11	Shashi Pal	63434	27-07-2021	200
12	Manish Modgil	63435	06-09-2021	200

13	Shiv Kumar	63439	30-09-2021	400
14	Rajan	63440	29-10-2021	200
15	Krishan Kumar	63441	29-10-2021	200
16	narinder Kumar	63442	03-11-2021	200
17	Vikas Sodhi	63451	26-11-2021	200
18	Saurav	63454	07-12-2021	200
19	Rajinder Singh	63455	08-12-2021	200
20	Vipin Kumar	63462	13-12-2021	400
21	Sachin Kumar	63463	13-12-2021	400
22	Atul	63464	14-12-2021	400
23	Deepak Kumar	63466	21-12-2021	200
24	Karan Saini	63467	28-12-2021	200
25	Aman Sharma	63468	03-01-2022	400
26	Shakti Nandan	63471	07-02-2022	100
27	Dinesh Kumar	63475	21-02-2022	200
28	Harsh	63476	28-02-2022	200
29	Satinder	63479	09-03-2022	200
30	Rohit	63480	15-03-2022	400
31	Sahil	63487	04-05-2022	400
32	Bhaskar	78016	01-11-2022	200
33	Ravi Dutt	78017	01-11-2022	400
34	Sushil Kumar	78022	21-12-2022	200

35	Ashwani Kumar	78023	21-12-2022	200
36	Rakesh Kumar	78024	01-01-2023	200
37	Sukhwinder Singh	78035	11-01-2023	400
38	Kuldeep	78041	11-01-2023	200
39	Vishav Parshant	78042	10-02-2023	200
40	Shashank Sharma	78043	14-02-2023	200
41	Yashpal	78044	17-02-2023	200
42	Sushil Kumar	78045	24-02-2023	200
43	Atul Kumar	78048	03-03-2023	200
44	Neeraj	78046	03-03-2023	200
45	Vishal	78047	03-03-2023	200
			योग	**11350**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 328/2023 दिनांक 11.12.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 213 दिनांक 13/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की स्व: स्त्रोत व अनुदान की समेकित रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया, कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा ₹1000/- से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल ₹1000/- तक की राशि को ही हस्तगत रखा

जा सकता है | ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई थी | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 336/2023 दिनांक 12/12/2023 द्वारा सचिव से आग्रह किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में नहीं दिया गया | अत: इस बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए व भविष्य में इस पर अंकुश लगाया जाए |

क्रम संख्या	माह	हस्तगत राशि (₹)
1.	Jun-21	2077.88
2.	Jul-21	2477.88
3.	Aug-21	1877.88
4.	Sep-21	2656.88
5.	Apr-22	6749.88
6.	May-22	6454.88
7.	Jun-22	6627.88
8.	Jul-22	6627.88
9.	Aug-22	6662.88
10.	Sep-22	6732.88
11.	Oct-22	7077.88
12.	Nov-22	7097.88
13.	Dec-22	7237.88
14.	Jan-23	9160.88
15.	Feb-23	7880.88
16.	Mar-23	6600.88

8.1 मनरेगा शीर्ष से ₹0.04 लाख का मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 05/2022 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य C/O Rasta from H/o Krishan Dev to Marewala Bhag हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 466 व 546 द्वारा ₹15264/- व ₹1908/- कुल ₹17172/- का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 10572 के पृष्ठ संख्या 31 पर ₹13360/- आँका गया अर्थात् पंचायत द्वारा ₹3812/-

(17172-13360) का मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334/2023 दिनांक 12/12/2023 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 218 दिनांक 13/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹3812/- की वसूली सम्बन्धित से करके मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 दिनांक 13/12/2023 को जमा करवा दी गई है |

8.2 मनरेगा शीर्ष से ₹948/- का अधिक / अनियमित व्यय करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 08/2021 व 05/2022 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार** ₹948/- का मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 332/2023 दिनांक 12/12/2023 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 13/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹948/- की वसूली सम्बन्धित से करके मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 दिनांक 13/12/2023 को जमा करवा दी गई है |

क्रम संख्या	मजदूर का नाम	मस्ट्रोल संख्या	मस्ट्रोल अवधि	मस्ट्रोल में दर्ज हाजरियां	मजदूरी दर / प्रति दिन	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1	बृंदा देवी	1921	04/08/2021 से 5/08/2021	8	203	1827	1624	203
2	अश्वनी कुमार	1921	04/08/2021 से 5/08/2021	9	203	2030	1827	203
3	नानक चन्द	467	02/05/2022 से 15/05/2022	8	271	2710	2168	542
							योग	**948/-**

9 माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त

अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**कार्य का नाम**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	C/O PANCHAYAT COMMUNITY CENTER TAKKA
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	C/O DRAINAGE AND REPAIR OF PATH FROM H/O BANARSI DASS TO KHAD W/NO.9

उपरोक्त उल्लेखित कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 331/2023 दिनांक 12/12/2023 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 215 दिनांक 13/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 327/2023 दिनांक 11.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 212 दिनांक 13/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।